संख्या:48/2020/521/35-4-2020

प्रेषक ,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर-खीरी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:31 मार्च,2020

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 14 अगस्त, 2018 को विधान सभा क्षेत्रों में पॉलीटेक्निक की स्थापना किये जाने से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद खीरी की विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर में **राजकीय पालीटेक्निक, भानपुर, श्रीनगर, लखीमपुर-खीरी के भवन निर्माण कार्य** हेतु रू. 1945.60 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय, 01 प्रतिशत लेबर सेस एवं तथा जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि, आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिये **कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद** होगी:-

(लाख रू. में)

घोषणा संख्या	जनपद	वि0स0 क्षेत्र	कार्य का विवरण	भूमि का विवरण	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु विभाग का प्रस्ताव
Y.A.N.-38/2018 (क.स.-GH11Y000651)	खीरी	लखीमपुर	राजकीय पालीटेक्निक, भानपुर,श्रीनगर, लखीमपुर-खीरी	तह0-लखीमपुर परगना- श्रीनगर ग्राम- भानपुर गाटा सं0-49 मि.-1.620 है0	1945.60 (जी0एस0टी0 सहित)	200.00

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- प्रस्तावित भवन के निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

6- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

7- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य ए0आई0सी0टी0सी0 के मानको के आधार पर भवनों एवं अन्य विविध कार्य को कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू. 25.00 लाख की धनराशि एकमुश्त प्रस्तावित की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

9- प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करते हुए प्रविधिक शिक्षा विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

10- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

11- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है।मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ प्रशासकीय विभाग का होगा।

12- प्रश्नगत निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं लागत में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा तथा प्रायोजना का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13- कार्य की विशिष्टिया,मानक व उच्च गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्र0वि0की होगी तथा समय समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी प्र0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस सम्बंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों,समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

16- कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

17- प्रश्नगत प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्कता अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकारण/ सक्षम लोकल अथार्टी से स्वीकृत कराया जायेगा।

18- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

20- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

21- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

22- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

23- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2020 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

24- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

25- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

26- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

27- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

28- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

29- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा निदेशक,प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। इस संबंध में क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों से प्रतिमाह प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।

30- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्य हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग नोडल विभाग है। अत: स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग कानपुर,उ0प्र0 का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुसरण विभागीय वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से भी किया जायेगा।

31- प्रयोजनान्तर्गत मूल्यांकित लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 की धनराशि समिम्लित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

32- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

33- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात प्राविधिक शिक्षा विभाग को किया जायेगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा -104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-546/दस-2020 दिनांक 31 मार्च,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या:48/2020/521(1)/35-4-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- निदेशक, प्रविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर,उ0 प्र0।
9- निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
11- गार्ड फाईल।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
14- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखीमपुर-खीरी ।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in